न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, जिला हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– चंचल वर्मा आर.ए.एस.

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या– 04/2023

1. सन्तोष उर्फ सन्तो पुत्री रामचन्द्र जाति मोची साकिन रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़

–अपीलान्ट

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र रामचन्द्र जाति मोची साकिन रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. सीताराम पुत्र रामचन्द्र जाति मोची साकिन रावतसर तहसील रावतसर।
3. रामकुमार पुत्र रामचन्द्र जाति मोची साकिन रावतसर तहसील रावतसर।
4. बाबुलाल पुत्र रामचन्द्र जाति मोची साकिन रावतसर तहसील रावतसर।
5. कमला पुत्री रामचन्द्र जाति मोची साकिन रावतसर तहसील रावतसर।
6. प्रेमा पुत्री रामचन्द्र जाति मोची साकिन रावतसर तहसील रावतसर।
7. शारदा पुत्री रामचन्द्र जाति मोची साकिन रावतसर तहसील रावतसर।
8. विमला पुत्री रामचन्द्र जाति मोची साकिन रावतसर तहसील रावतसर।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर तहसील रावतसर।

– रेस्पोडेन्टस

उपस्थितः– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता अपीलांट।

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर

निर्णय दिनांकः–15.12.2023

अपीलांट सन्तोष उर्फ सन्तो पुत्री रामचन्द्र जाति मोची साकिन रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ द्वारा अपील अन्तर्गत धरा 75 भू–राजस्व अधिनियम सन् 1956 विरूद्व नामान्तरण सख्या 148 दिनांक 31.01.2007 जो तहसीलदार राजस्व रावतसर द्वारा स्वीकृत किया गया को अपास्त करवाने बाबत प्रस्तुत की, जिसके तथ्य निम्न प्रकार है– रोही मौजा चक 8 के. डब्ल्यु. डी. तहसील रावतसर के प.न. 158/403 मु.न. 17 के किला नं. 11 की 0.0250 हैक्टेयर, 12 की 0.2400 हैक्टेयर भूमि, 13, 14, 15–16 की 1.0120 हैक्टेयर भूमि कुल 1.2770 हैक्टेयर भूमि स्थित है,

15.12.2023
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

जिसके रामचन्द्र पुत्र उदाराम जाति मोची निवासी रावतसर तहसील रावतसर खातेदार काश्तकार थे। रामचन्द्र पुत्र उदाराम जाति मोची साकिन रावतसर तहसील रावतसर ने अपने नाम दर्ज कृषि भूमि रोही मौजा चक 8 के डब्ल्यु. डी. तहसील रावतसर की कुल तादादी 1.2770 हैक्टेयर भूमि में से किला नं. 15–16 की 2 बीघा भूमि की वसीयत अपनी पुत्री सन्तोष पत्नि मोमचन्द जाति मोची साकिन फाजिल्का के पक्ष में कर दी थी तथा रामचन्द्र पुत्र उदाराम जाति मोची साकिन रावतसर ने अपनी पुत्री की सेवा से प्रसन्न होकर करवाई थी तथा वसीयत दिनांक 20.12.1996 को उप पंजीयक रावतसर से पंजिबद्ध करवाई गई।

1. रामचन्द्र पुत्र उदाराम जाति मोची साकिन रावतसर दिनांक 11/01/2005 को फौत हो चुके है एवं रामचन्द्र के दो पत्नि सरबती एव पार्वती देवी दोनो फौत हो चुकी है। उनके वारिसान चार पुत्रगण ओमप्रकाश, सीताराम, रामकुमार, बाबुलाल एवं पांच पुत्रियां कमला, शारदा, प्रेमा, बिमला, एवं सन्तोष है। रामचन्द्र पुत्र उदाराम जाति मोची साकिन रावतसर तहसील रावतसर के कुल नौ वारिसान है।
2. रोही मौजा चक 8 के. डब्ल्यु.डी. तहसील रावतसर के प.न. 158/403 मु.न. 17 के किला नं. 11 की 0.0250 हैक्टेयर, किला नं0 12 की 0.2400 हैक्टेयर भूमि, किला नं0 13, 14,15,16 की 1.0120 हैक्टेयर भूमि कुल 1.2770 हैक्टेयर भूमि रामचन्द्र पुत्र उदाराम जाति मोची निवासी रावतसर तहसील रावतसर की फौतदगी के बाद उनके वारिसान के नाम जरिये नामान्तरण संख्या 148 दिनांक 31.01.2007 से दर्ज कर दी गई जबकि उपरोक्त कृषि भूमि में से किला नं. 15–16 की 0.5060 हैक्टेयर भूमि की वसीयत अपीलान्ट के नाम की गई थी एवं उपरोक्त कृषि भूमि में से किला नं. 15, 16 की 0.5060 हैक्टेयर भूमि में अपीलान्ट के अकेले के नाम दर्ज होनी थी एवं शेष किला नं. 11/2 की 0.0250 हैक्टेयर भूमि किला नं. 12/1 की 0.2400 हैक्टेयर भूमि किला नं. 13, 14 की 0.5060 हैक्टेयर भूमि रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ता 8 के नाम ब.हि.ब. दर्ज होनी चाहिए थी एवं नामान्तरण सं. 148 दिनांक 31.01.2007 कतई गलत तौर से दर्ज किया गया। वसीयत दिनांक 20.12.1996 का परिवार को अच्छी तरह से ज्ञान था फिर भी रेस्पोडेन्टस सं. 9 से साजबाज कर विरास्तन नामान्तरण दर्ज करवा लिया गया जो कि विधि की अवहेलना में पारित करवाया गया है इसलिए अपीलाधीन नामान्तरण निरस्तनीय है।
3. अपीलाधीन नामान्तरण का पूर्व में अपीलान्ट को ज्ञान नहीं था। अपीलान्ट अनपढ़ एवं पर्दाशीन महिला है जिसे कानूनी पेचीदगियों का ज्ञान नही था। अपीलान्ट वर्तमान में अपने पीहर आई तथा वसीयत की प्रति लेकन पटवारी हल्का से मिली तो पटवारी हल्का ने बतलाया की वसीयत में वर्णित कृषि भूमि का विरास्तन नामान्तरण दर्ज हो चुका है तथा अगले दिन दिनांक 22.02.2023 को नामान्तरण की प्रमाणित प्रतिलिपि

15.12.2023
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

प्राप्त की तथा अपीलान्ट बिना किसी देरी के अपील प्रस्तुत कर रही है। उक्त नामान्तरण की चुनौती देने में परिसीमा अवधि कही आड़े नही आती है फिर भी तकनीकी त्रुटियों से बचने हेतु परिसीमा अधिनियम धारा 5 का प्रार्थना पत्र अलग से प्रश्नगत अपील के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील को स्वीकार फरमाते हुए तहसीलदार राजस्व रावतसर द्वारा तस्दीक नामान्तरण सं. 148 दिनांक 31.01.2007 को निरस्त फरमाते हुए मुताबिक वसीयत के अनुसार नामान्तरण दर्ज करने के आदेश न्यायहित में फरमावे।

अपील पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रावतसर से अपीलाधीन नामान्तरण की मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या– 1 ता 8 तामिल होनें के उपरान्त भी उपस्थित नहीं हुये। इसलिये रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 8 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरण संख्या 148 दिनांक 31.01.2007 को स्वीकृत किया गया, के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। चक 8के.डब्ल्यू.डी की कुल 1.2770है0 भूमि का रामचन्द्र पुत्र उदाराम खातेदार काश्तकार दर्ज है जिनकी देखभाल, सेवा पुत्री संतोष करती थी। इस कारण रामचन्द्र पुत्र उदाराम ने दिनांक 20.12.1996 को वसीयत संतोष के पक्ष में कुल भूमि में से 2 बीघा भूमि की वसीयत की थी, जो उप पंजीयक रावतसर से पंजीबद्ध है। दिनांक 11.01.2005 को रामचन्द्र पुत्र उदाराम फौत हो चुके है। रेस्पोडेन्ट ने दिनांक 31.01.2007 को विरासतन नामान्तरण दर्ज करवा लिया जबकि हमारे पक्ष में 2 बीघा की वसीयत की गई थी। तहसीलदार रावतसर द्वारा रामचन्द्र पुत्र उदाराम की मृत्यु के पश्चात सभी वारिसानों के विरासतन नामान्तरण दर्ज कर दिया गया जबकि संतोष पुत्री रामचन्द्र को 2 बीघा भूमि अकेली को मिलनी थी, शेष भूमि सभी वारिसानों को मिलनी थी। अतः अपील स्वीकार की जावे।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया एंव अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न वसीयतनामा का भी अध्ययन किया गया। उक्त वसीयतनामा उप पंजीयक से पंजीकृत है जिसकी विधि मान्यता पर प्रश्न कारित नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय में नामान्तरण स्वीकृत करते समय किसी प्रकार की कोई वसीयत का उल्लेख नहीं किया है। उक्त वसीयत की विधिमान्यता पर भी प्रश्न चिन्ह नहीं है। ऐसे में प्रार्थीया अपने हक हिस्से की 2बीघा अतिरिक्त भूमि, जो कि उसके पिता द्वारा उसे जरिये वसीयत प्रदान की थी, को पाने की अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय में उक्त तथ्य

15.12.2023
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

को अनदेखा कर भूल की है। अतः इस न्यायालय की राय में अपील स्वीकार योग्य होनें से स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरण संख्या 148 दिनांक 31.01.2007 खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश दिया जाता है कि वसीयत के अनुसार वसीयत ग्रहीता के नाम नामान्तरण दर्ज किया जाना सुनिश्चित करे। अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाई जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 15.12.2023 को सरेइजलास सुनाया गया।

15.12.2023

(चंचल वर्मा आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)